न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 111/2022/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी

दायरा दिनांकः 7.4..2022

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

बद्रीलाल आ0 सुन्दरदास जाति बाबाजी (बैरागी) नि0 ग्राम सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बूंदी।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी, राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री शम्भूदयाल शर्मा श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 30.4.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 114/प्रार्थना पत्र/2018 बउनवान राजस्थान राज्य पैरोकार सरकार (तहसीलदार हिण्डोली) जिला बूंदी बनाम बद्री आ0 सुन्दरदास बाबाजी (बैरागी) निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला–बूंदी मे पारित निर्णय दिनांक 22.10.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राज0 उपनिवेशन की नियम 17 ए (लघु एंव मध्यम सिंचाई परि0 क्षेत्र मे भूमि आवंटन) नियम 1968 के अन्तर्गत बद्री आ0 सुन्दरदास बाबाजी निवासी सांवतगढ को वाके ग्राम सांवतगढ मे दिनांक 12.10.77 को खसरा नम्बर 195 रकबा 6 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे आवंटी/वारिसान के नाम गैरखातेदारी/लीजदारी मे दर्ज है। उक्त भूमि पर आवंटी/वारिसान का कब्जा काश्त नही होने तथा भूमि की किश्त मय ब्याज जमा नही कराने से आवंटन शर्तो का उल्लघंन होने से तहसीलदार हिण्डोली द्वारा आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 ए राज0 उपनिवेशन (लघु एंव मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र मे भूमि का आवंटन) नियम 1968 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सांवतगढ मे स्वीकार किया जाकर दिनांक 12.10.1977 को बद्री आ0 सुन्दरदास को हुये भूमि खसरा नं0 195/1276 रकबा 6 बीघा के आवंटन आदेश को निरस्त करने का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.10.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के रिमांड आदेश दिनांक 12.7.18 की पालना मे गुणावगुण पर विचार किये बिना तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन मे कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने के बावजूद तहसीलदार हिण्डोली का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश खारिज करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रशासन गांव के संग केम्प सांवतगढ मे पत्रावली को रख कर अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय रूप से निर्णय पारित किया है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 16.6.2015 व दिनांक 22.10.2021 परस्पर विरोधाभाषी है

क्योंकि दि0 16.6.15 की रिपोर्ट मे अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होना बताया है जबकि दिनांक 22.10.21 की रिपोर्ट मे मकान, बाडे बने हुये बताये है। उक्त विरोधाभाषी तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। अपीलांट ने आवंटन शर्तो का उल्लघंन नही किया है। तहसीलदार ने कीमत भूमि जमा कराने का कभी कोई नोटिस नही दिया। भूमि पर कब्जा नही होना भी आवंटन शर्तो का उल्लघंन नही है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली ने ब्रदीलाल बनाम सोभाग धाकड वगेरा कार्यवाही अर्न्तत 212 आरटीए मे प्रार्थी का कब्जा मानते हुये भूमि पर निर्माण नही करने व यथास्थिति के आदेश जारी किये थे। प्रशासन गांव के संग केम्प मे केवल दोनो पक्षो द्वारा राजीनामा के प्रकरणो का ही निस्तारण किया जाना था ऐसी स्थिति मे पारित जेरअपील निर्णय गलत है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 3.12.2021 को न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर सूची लगाने पर उक्त प्रकरण मे दिनांक 22.10.21 को ही निर्णय हो जाने की जानकारी हुई। दिनांक 30.12.21 को नकल निर्णय प्राप्त होने उपरांत कोविड–19 लग जाने व लोक डाउन होने के बावजूद दिनांक 18.1.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर कोई कार्यवाही नही की तथा सुनवाई से इंकार कर दिया इसके बाद अपीलांट टाईफाईड बीमारी से ग्रसित हो जाने से चलने फिरने मे असमर्थ होने से अपील प्रस्तुत नही कर सका। अतः विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.21 निरसत करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय आर0ए0ए0 के रिमांड आदेश दिनांक 12.7.18 की पालना मे प्रकरण मे गुणावगुण पर विचार किये बिना तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने के बावजूद तहसीलदार हिण्डोली का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश खारिज करने मे त्रुटि की है। पत्रावली को प्रशासन गावं के संग केम्प मे रखने की कोई सूचना नही गई। प्रशासन गांव के संग केम्प मे केवल राजीनामा के प्रकरणो का ही निस्तारण किया जा सकता है ऐसी स्थिति मे एक पक्षीय रूप से पारित निर्णय अवैधानिक है। बहस मे आगे बताया कि पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 16.6.2015 व दिनांक 22.10.2021 परस्पर विरोधाभाषी है क्योंकि दि0 16.6.15 की रिपोर्ट मे अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होना बताया है जबकि दिनांक 22.10.21 की रिपोर्ट मे मकान, बाडे बने हुये बताये है। इन तथ्यों पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। अपीलांट ने आवंटन शर्तो का उल्लघंन नही किया है। तहसीलदार ने कीमत भूमि जमा कराने का कभी कोई नोटिस नही दिया। भूमि पर कब्जा नही होना भी आवंटन शर्तो का उल्लधंन नही है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार रेस्पो0 ने उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अपीलांट द्वारा स्वंय का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने प्रार्थना एंव शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित किये गये तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा सहल न्याय के दृष्टिगत न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने पत्रावली का गुणावगुण अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय आरएए कोटा से पारित रिमांड आदेश 12.7.18 के पश्चात पत्रावली प्राप्त होने उपरांत दर्ज कर

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया तथा उसकी ओर से दिनांक 14.11.2019 को श्री शभूदयाल शर्मा एडवोकेट द्वारा उपस्थिति दी गई। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 20.9.2021 तक जवाब मे जेरकार रही है। दिनांक 20.9.2021 को उक्त प्रकरण को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर/केम्प सांवतगंढ मे दिनांक 22.10.21 को रखा गया किन्तु केम्प/शिविर सांवतगढ की नियत की तिथी से अपीलांट अथवा उसके अभिभाषक को किसी प्रकार से सूचित नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति मे तहसीलदार हिण्डोली से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त शिविर मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का निर्णय पारित करने की पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से होती है ऐसी स्थिति मे उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा अपीलाधीन निर्णय बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपीलांट एंव उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे एक पक्षीय रूप से पारित किया गया जो प्रथम दृष्टया ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से न्यायोचित नही है।

7 प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर मे पक्षकारान के मध्य आपसी समझोता के आधार पर निस्तारण होने वाले प्रकरणों को रखा जाकर राजीनामा के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है इस प्रकरण मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है। यहां यह उल्लेख किया जाना समीचिन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट को 12.10.1977 को आवंटित हुई है जिसे लगभग 46 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान करने का दायित्व राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों का है विवादित आवंटन आदेश 12.10.1977 का है जिसे खारिज कराने हेतु तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रकरण लगभग 28 वर्ष पश्चात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली मे दिनांक 1.1.2015 को पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी हिडोली ने प्रकरण को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 मे केम्प/शिविर सावंतगढ दिनांक 22.10.2021 मे रख कर अपीलार्थी को विधिवत सूचित किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय रूप से आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1977 को निरस्त करने मे विधिक त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 22.10.2021 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित/रिमाड किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 22.10.2021 आपास्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्त विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8 निर्णय आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा